(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 20.08.2024 का कार्यवृत

मैसर्स इन्टीग्रेटेड ग्लास मैटेरियल लिमिटेड, **खनन पटटा संख्या 14/06, खनन पटटा क्षेत्रफल 12.909 हैक्टेयर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार सिलिका सेण्ड और मैसेनरी स्टोन (माइनर मिनरल)** खनन परियोजना, **कुल उत्पादन क्षमता 4,39,920 टन प्रतिवर्ष से बढाकर 7,90920 टन प्रतिवर्ष (सिलिका सेण्ड 310050 टन प्रतिवर्ष, मैसेनरी स्टोन का समावेश 465060 टन प्रतिवर्ष तथा वेस्ट 15810 टन प्रतिवर्ष), खसरा संख्या 146 निकट ग्राम खिरखिरा, तहसील एवं जिला करौली, राजस्थान** के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक **लोक सुनवाई दिनांक 20 अगस्त 2024 को दोपहर : 02:30 बजे सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, ग्राम पंचायत काशीपुरा, तहसील व जिला करौली** में श्री राजवीर सिंह चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (जिला कलेक्टर करौली के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान लगभग 39 लोग उपस्थित रहे, उपस्थिति पंजिका संलग्नक–1 पर संलग्न है। जनसुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई की सूचना समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के करौली संस्करण में दिनांक 19.07.2024 को प्रकाशित की जा चुकी हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा बताया गया कि उक्त खनन परियोजना पूर्व से संचालित है, आज की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई खनन परियोजना में सिलिका सेण्ड मिनरल की अभिवृद्धि एंव मैसेनरी स्टोन मिनरल के समावेश के लिये की जा रही है। साथ ही उन्होने बताया कि उद्योगों एवं परियोजनाओं के स्थापित होने से क्षेत्र में रोजगार बढता है।

क्षेत्रीय अधिकारी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय एवं पधारे हुए समस्त ग्राम वासियों का अभिवादन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा की जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास होता है साथ ही परियोजना से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में आमजन की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते है।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी ने अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स इन्टीग्रेटेड ग्लास मैटेरियल लिमिटेड, **खनन पटटा संख्या 14/06, खनन पटटा क्षेत्रफल 12.909 हैक्टेयर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार सिलिका सेण्ड और मैसेनरी स्टोन (माइनर मिनरल) खनन परियोजना, कुल उत्पादन क्षमता 4,39,920 टन प्रतिवर्ष से बढाकर 7,90920 टन प्रतिवर्ष (सिलिका सेण्ड 310050 टन प्रतिवर्ष, मैसेनरी स्टोन का समावेश 465060 टन प्रतिवर्ष तथा वेस्ट 15810 टन प्रतिवर्ष), खसरा संख्या 146 निकट ग्राम खिरखिरा, तहसील एवं जिला करौली, राजस्थान** के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोजित की जा रही हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी ने इस बैठक में उपस्थित सभी जन से मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियॉ सुझाव/राय देने हेतु निवेदन किया।

इसके उपरांत अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से परियोजना के तकनीकी परामर्शकर्ता द्वारा खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) आदि के बारे में पॉवर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन की सहायता से विस्तार से बताया।

तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर, करौली द्वारा परियोजना प्रस्तावक से जानकारी चाही गई कि उक्त खनन् परियोजना द्वारा पूर्व में सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के अन्तर्गत क्या–क्या कार्य किये गये है जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के प्रतिनिधि श्री अक्षय सोनी द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना द्वारा ग्राम खिरखिरा में स्थित राजकीय विद्यालय में एक हॉल (कक्ष) का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके निर्माण हेतु लगभग 4 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा है। खनन परियोजना द्वारा गॉव में रास्ते का निर्माण हेतु खान से पत्थर मुहैया कराये जाते है एवं रास्ते का निर्माण भी करवाया जाता है। राजकीय विद्यालय में शौचालय की मरम्मत करवाया जाना भी प्रस्तावित है।

Scanned with OKEN Scanner

तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर, करौली द्वारा परियोजना के प्रतिनिधि को राजकीय विद्यालय में शौचालय की मरम्मत के साथ–साथ नये शौचालय का निर्माण कराने तथा कहा कि परियोजना द्वारा 1260 पौधे लगाये है जो कि बहुत कम है, इसे बढाकर गॉव में एवं खनन क्षेत्र के आस–पास लगभग तीन हजार की संख्या में मय ट्री गार्ड पौधारोपण करने के लिये निर्देशित किया गया।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ग्रामीणों से अपने सुझाव/आक्षेप रखने के लिये अनुरोध किया गया।

इसके पश्चात् सर्वप्रथम ग्रामवासी श्री विमलेश, ग्राम खिरखिरा, तहसील करौली द्वारा बताया गया की इस तरह की परियोजना से गॉव मे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते है साथ ही परियोजना के प्रतिनिधि से अनुरोध किया कि इस परियोजना से ग्राम खिरखिरा वासियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जावें। इसके प्रत्युउत्तर में परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ग्राम खिरखिरा से 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, वर्तमान में नियमित 25–30 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है। इस प्रस्तावित परियोजना के संचालित होने पर अधिक रोजगार का सृजन होगा जिसमें शत प्रतिशत रोजगार इसी गॉव के ग्रामवासियों को दिया जावेंगा।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री विजेन्द्र, ग्राम खिरखिरा, तहसील करौली द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना से हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है बल्कि परियोजना के संचालन अच्छे तरीके से किया जा रहा है एवं ग्रामीणों की परियोजना द्वारा अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही है।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री रूपसिंह, ग्राम खिरखिरा ने परियोजना प्रतिनिधि से गॉव में ठाकुर जी का मन्दिर का जीर्णोधार कराने में सहयोग करने के लिये आग्रह किया इसके प्रत्युत्तर में परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि हमारी ईकाई द्वारा जो भी सहायता होगी, उसे हमारे द्वारा यथा सम्भव किया जावेगा।

इसके पश्चात् अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने परियोजना के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि ठाकुर जी के मन्दिर में भी मय ट्री गार्ड पौधारोपण कराया जावें साथ ही खनन परियोजना के समीप व गॉव में पौधों की संख्या बढाकर 3000 से 4000 किया जावें जिनकों मय ट्री गार्ड लगाने, खनन कार्य 45 मीटर की गहराई से नीचे नहीं करने, पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव करने व खनन परियोजना में कार्यरत मजदूरों/कार्मिकों का नियमित चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं कार्यरत मजदूरों/कार्मिकों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण यथा : हैलमेट, मास्क, सेफ्टी किट मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया।

इसके पश्चात् ग्रामवासी श्री धर्म सिंह, ग्राम खिरखिरा द्वारा परियोजना के बारे में बताते हुए कहा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना में डस्ट कलेक्टर के उपकरण लगाये हुऐ हैं ताकि धूल मिटटी के कण इधर उधर नहीं उडें।

इसके पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई के समापन की घोषणा करते हुए कहा कि मैसर्स इन्टीग्रेटेड ग्लास मैटेरियल लिमिटेड पर्यावरणीय नियमों की पालना करते हुए खनन कार्य करें एवं उक्त खनन कार्य से ग्रामीणों को किसी भी तरह की समस्या न हो।

अंत में जनसुनवाई के समापन में सरपंच श्री हरिसिंह बैरवा, ग्राम पंचायत–काशीपुरा, निवासी ग्राम–खिरखिरा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, करौली व क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर व पधारे हुये ग्राम वासियों के बहुत--बहुत आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया ।

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
सवाईमाधोपुर

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
करौली

Scanned with OKEN Scanner

मैसर्स इंटीग्रेटेडग्लास मटेरियल लिमिटेड

"सिलिका सैंड व मेसनरी स्टोन खनन परियोजना"

निकट ग्राम: खिरखिरा, तहसील: करौली, जिला: करौली, राजस्थान

आवेदित परियोजना का क्षेत्रफल- 12.909 हेक्टर,

आवेदित खनन पट्टे की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 7,90,920 टीपीए (आर ओ एम.),

(मेसनरी स्टोन के समावेश व उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ)

खसरा नंबर:146, एमएल नंबर- 14/06, क्षेत्रफल- 12.909 हेक्टर की

जनसुनवाई

उपस्थिति पंजिका

दिनांक -20.08.2024

समय- 02:30 बजे

स्थान- जनसुनवाई का स्थान –आई. टी. केंद्र, ग्राम खिरखिरा, ग्राम पंचायत काशीपुरा, तह. व जिला- करौली

क्रम संख्या	नाम व पता	हस्ताक्षर
1	Rajveer Singh Chaudhary, ADM Karauli	[signature] 20/8/24
2	Baljeet Meena, Regional officer, RSPCB	[signature] 20/8
3		
4		
5	हरिसिंह बैरवा (सरपंच)	
6	RAJ KUMAR WORTAR JEE RSPCB	[signature]
7	Dushyant Sharma.	Project EIA Consultant
8	Raumlesh - AAO Colletorate karauli	Raumlesh
9	ABDUL SATTAR KHAN GLR	[signature]
10	मुकेश चन्द मीना पटवारी	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

11	आयुष जैन	[illegible]
12	सुरेश बैरवा	[illegible]
13	अमर सिंह	[illegible]
14	हरीलाल काशीपुरा	हरीलाल
15	कृष्णा कुमार काशीपुरा	कृष्णा कुमार
16	महेश बैरवा	महेश बैरवा
17	रोमैश	रोमैश
18	दीपक बैरवा	दीपक बैरवा
19	रमेश	गैरई सिंगुआडी
20	रामजीलाल काशीपुरा	रामजीलाल
21	रामराज बैरवा	[illegible]
22	श्याम लाल	[illegible]
23	हनुमान मीना	[illegible]
24	सोमराज	[illegible]
25	राजकुमार मीना	राजकुमार
26	दिलकेश	दिलकेश
27	विमलेश मीना D/o बृजलाल खिरखिड़ा	विमलेश
28	लवकुश मीना	लवकुश मीना
29	बाबूलाल मीना	[illegible]

30	इमाम	इमाम
31	[illegible]	[illegible]
32	शिवचरन	[illegible]
33	दुर्योका	दुर्योका
34	परसा	परसु
35	रामदलाल	रामदलाल
36	सुरेश चन्द	सुरेश
37	पन्नालाल	पन्नालाल
38	प्रकाश चन्द्र बैरवा	प्रकाश चन्द्र बैरवा
39	अक्षय	[illegible]
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		

Scanned with OKEN Scanner